संख्या:313/2015/3545जेएल/22-3-15-100(115)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2015***

विषय: जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध 06 विचाराधीन बंदियों व जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-44747/सामा-1(3)/03/मेरठ मं0/2015, दिनांक 15-10-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध 06 (छः) विचाराधीन बंदियों व जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध 03 (तीन) विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	राजू पुत्र श्री किशन	जि0का0 मेरठ	जि0का0 सिद्धार्थनगर
2	देवेन्द्र पुत्र श्री इकबाल सिंह	जि0का0 मेरठ	जि0का0 बस्ती
3	राजीव पुत्र श्री गिरवर	जि0का0 मेरठ	जि0का0 देवरिया
4	मनीष उर्फ अन्ना पुत्र श्री श्यौराज	जि0का0 मेरठ	जि0का0 गोरखपुर
5	कपिल पुत्र श्री कृपाल	जि0का0 मेरठ	जि0का0 महराजगंज
6	जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश उर्फ ओमी	जि0का0 मेरठ	जि0का0 बलरामपुर
7	जाकिर पुत्र श्री महुआ	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0 मऊ
8	देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री इकबाल सिंह	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0 आजमगढ़
9	सतेन्द्र पुत्र श्री काला	जि0का0 मुजफ्फरनगर	जि0का0 बलिया

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:313/2015/3545जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/मुजफ्फरनगर/बागपत।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/मुजफ्फरनगर।
3. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ/मुजफ्फरनगर/सिद्वार्थनगर/बस्ती/देवरिया/गोरखपुर/महराजगंज/बलरामपुर/मऊ/आजमगढ़/बलिया।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।